

# नागरिक नामा



वकनुह १/१० बूदे १/२१ व १/१० दस

## वर्कशूट 1/21 2014

### ; g D; k g\$

एक परिवार सलाना कितना कमाता है इसका सबूत इनकम सर्टीफिकेट होता है।

### geabl dh D; kat : jr i Mrh g\$

कुछ सरकारी योजनाएँ गरीब परिवारों के लाभ के लिए होती हैं।

आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का सबूत देने के लिए यह सर्टीफिकेट अनिवार्य है।

उदाहरण के लिए कुछ योजनाएँ नीचे दी गई हैं।

- राशन कार्ड (एक लाख से कम आमदनी होने पर आपके परिवार को ए.पी.एल कार्ड जारी किया जाता है। इस पर मुहर लगी होती है।)
- लाइली योजना
- प्राइवेट स्कूलों में कोटे के अंतर्गत दाखिला हेतु।

## वकनह इक कि = इर दजुस दकर जहदक ड; क गस दकसदकस लसलरकत यखसु इमरसगस

1. निवास के पते का सबूत— राशन कार्ड इसका सबसे अच्छा सबूत माना जाता है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम होता है। इसकी फोटोकॉपी (Photocopy) गजटेड ऑफिसर (Gazetted Officer) द्वारा प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है।
2. परिवार के सभी सदस्यों का पहचान प्रमाण (यदि संभव हो) इसे भी सत्यापित करवाना आवश्यक है।
3. एक शपथ-पत्र जिसमें परिवार के हर एक सदस्य का नाम, पता, रोजगार का विवरण और आमदनी के बारे में घोषणा की जायेगी। जो सदस्य बेरोजगार हैं उन्हें बताना होगा। इसमें परिवार के निवास वाले मकान का व्योरा और आमदनी का जरिया बताना होगा।
4. यह शपथ पत्र नोटरी द्वारा लिखा जायेगा।  
इसे भोगल मार्केट की चुनिंदा दुकानों में करवाया जा सकता है। यह काम साकेत कोर्ट के बाहर स्थित नोटरी से भी करवाया जा सकता है। इसके लिए तकरीबन 100 रु खर्च करने पड़ेंगे



वकनह दसफत रुस वफ/कड ल कव वकि नसल द्रसगसना बल एा  
ल वरुदव कुसेअल गफु; र गसख ल कव दसरुस इज फु; कडरु  
{ क्जक त क्जह इ = } ल स्यह फल फुि बरु; कन फन, त क ल द्रसगस ल कव  
नुक वफुकु; जुगहगस "कि फक इ = वदसुक गह ल वरुदव त क्जह फद,  
त कुस दसफु, दकह गस

## वक्रुनु धक ङक ङकgh

1- एस डी एम कार्यालय से फार्म प्राप्त करें।

फार्म भरकर, ऊपर बतलाए गए दस्तावेज लगाकर एस डी एम कार्यालय में जमा करें। एवज में आपको पावती की रसीद दी जायेगी। इसे संभाल कर रखें।

, l Mh , e dk kzy; dk irk&  
 , l Mh , e 1/2 dkykult/2  
 Gh Mh vks vkQh | vuq e viKZw dsik  
 , e- ch jkM l kds] ubZfnYyh & 110017  
 VsyhQku %011&28536773] 011&26568772

2- एस डी एम आपके क्षेत्र के पुलिस थाने को आर्डर करके पुलिस मैन को आपके निवास के पते पर भेजकर तफतीस करवायेंगे। यदि पुलिस वाले की तफतीस के समय आप मौजूद नहीं होंगे तो आपको पुलिस थाने बुलाकर जानकारी ली जायेगी।

;/ ku jgs; g i fyl t hp fcYdy efr gkshA

3- दरखास्त जमा करवाने के 21 दिन के अंदर आमदनी सर्टीफिकेट जारी कर दिया जायेगा।